न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका ।

अर्जेन्ट वाद सं० - 44/2023

विवेक कुमार सिंह बनाम रामप्रित भुईयां वैगरह

आदेश

<table>
<tr><th>Date of order of proceeding</th><th>Order with signature of the court</th><th>Office action taken with date</th></tr>
<tr><td>9/11/023</td><td>
अभिलेख उपस्थापित ।
वाद की कार्यवाई में उभयपक्ष उपस्थित हुए । प्रथमपक्ष के द्वारा कारण पृच्छा एवं भूमि के स्वामित्व के कागजात दाखिल किए गए । जबकि द्वितीयपक्ष द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया । वाद की कार्यवाई निम्न भूमि पर धारा 144 द०प्र०स० के अन्तर्गत चल रही है ।
<table>
<tr><th>ग्राम</th><th>खाता सं०</th><th>प्लौट सं०</th><th>रकबा</th><th>उ०</th><th>द०</th><th>पु०</th><th>प०</th></tr>
<tr><td>शेराशाम</td><td>06</td><td>496</td><td>0.23 ए०</td><td>प्रथमपक्ष</td><td>सडक</td><td>सड़क</td><td>रिगन भुईयां</td></tr>
</table>
प्रथमपक्ष का कथन है कि इस वाद में वर्णित भूमि जो ग्राम शेराशाम के खाता सं० 6 प्लौट सं० 496 रकबा 0.23 ए० चौहदी उ० प्रथमपक्ष, द० सड़क, पु० सड़क, प० रिगन भुईयां जो खाता सं० 6 की है । यह खाता प्रथमपक्ष के दादा के नामें खतियानी पुस्तैनी रैयती भूमि है । जिसका मांग पुराना खाता प्लौट के अनुसार ऑफलाइन इनके नामें ही चलता था । हाल सर्वे में खतियानी दर्ज होने के बाद ऑनलाइन मांग भी पेज नं० 6 वाल्यूम नं० 1 पर कायम है । एवं रसीद निर्गत हो रहा है । द्वितीयपक्ष रामप्रित भुईयां वैगरह द्वारा स्टाम्प पर जाली हस्ताक्षर प्रथमपक्ष के पिता ललितेश्वर प्रसाद सिंह का बना कर कि इस भूमि के दाम साठ हजार रुपया लिए व जमीन दे दिए का बना कर इस जमीन को कब्ज़ा करने का प्रयास किया जा रहा है एवं मना करने पर झगडा पर उतारू हो जा रहा है । द्वितीयपक्ष का कोई कागजात इस जमीन का नहीं है । जाली दस्तावेज तैयार कर जमीन लुटना चाह रहा है, इस हेतु गढ़वा न्यायालय में धारा 420, 452, 385 व अन्य धारा में प्रथमपक्ष केस किए हैं जो लंबित है । द्वितीयपक्ष वर्तमान में धमकी दे रहा है कि वैसे ही 144 की समय सीमा समाप्त होगी पुनः जमीन पर निर्माण प्रारंभ करेंगे । स्पष्ट है कि इससे भूमि को दखल कब्ज़ा को लेकर भारी विवाद है । प्रथमपक्ष का न्यायालय से अनुरोध है कि इस वाद को धारा 145 द०प्र०स० में परिवर्तित किया जाय ।
</td><td></td></tr>
</table>

प्रस्तुत दस्तावेज, प्रथमपक्ष के कारण पृच्छा, तर्क से स्पस्ट है कि स्थल के दखल कब्ज़ा को लेकर विवाद है । अतः वाद की कार्यवाई वृहत सुनवाई हेतु धारा 145 द०प्र०स० के अन्तर्गत परिवर्तित किया जाता है । नोटिश निर्गत कर दोनों पक्ष को सूचित करें कि दिनांक 13/11/23 को उभयपक्ष न्यायालय के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखें ।

4/11/23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
रंका ।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.12.09 13:30:40 +05:30
Location: 192.168.203.152